आज पार्षद चुनेंगे शहरी सरकार का मुखिया

महापौर के लिए सुबह 10 से दोपहर 2 बजे तक होगी वोटिंग, शाम तक आएगा परिणाम

-कार्यालय संवाददाता-

जयपुर। नगर निगम में नए मेयर के चुनाव को लेकर गुरुवार शाम तैयारियां तेज हो गई। मेयर के शुक्रवार को होने वाले चुनाव से पहले नगर निगम मुख्यालय और मेयर कक्ष की सफाई का काम शुरू किया गया। मेयर कक्ष को नए महापौर के पदभार ग्रहण करने के लिए तैयार किया जा रहा है। बता दें कि शुक्रवार सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक मेयर पद के लिए मतदान होगा। मतदान खत्म होने के तुरंत बाद मतगणना शुरू होगी। इसके बाद परिणाम घोषित कर दिया जाएगा।

मेयर पद के लिए भाजपा के सुनील कोठारी और कांग्रेस की सुनीता मावर आमने-सामने हैं। नाम वापसी की प्रक्रिया पूरी होने के बाद अब दोनों ही प्रत्याशी मैदान में हैं। इसे लेकर भाजपा पार्षदों को पुष्कर से जयपुर के बगरू के रिसोर्ट में शिफ्ट कर दिया गया है।

चुनाव परिणाम आने के बाद शुक्रवार को नए मेयर का नाम साफ हो जाएगा। इसके बाद मेयर के पदभार ग्रहण की तैयारी शुरू होगी। ऐसे में लंबे समय से खाली पड़े मेयर कक्ष में अब नए महापौर के आने का इंतजार है। ज्ञात रहे कि जयपुर नगर निगम के 150 वार्डों में भाजपा के 78, कांग्रेस के 57 और निर्दलीय 15 पार्षद हैं। मेयर चुनाव में बहुमत का आंकड़ा 76 है। संख्या बल के लिहाज से भाजपा के पास बहुमत से दो सीट ज्यादा हैं, जबकि कांग्रेस के पास 57 पार्षद हैं। वहीं 15 निर्दलीय पार्षद दोनों प्रमुख दलों के लिए अहम माने जा रहे हैं।

नगर निगम मुख्यालय में महापौर चुनाव की तैयारियों से लेकर मेयर रूम की साफ-सफाई का काम गुरूवार को जोर-शोर से चलता रहा। फोटो-राष्ट्रदूत

- भाजपा के सुनील कोठारी और कांग्रेस की सुनीता मावर है मैदान में
- संख्या बल के लिहाज से भाजपा के पास बहुमत से दो सीट ज्यादा हैं, जबकि कांग्रेस के पास 57 पार्षद हैं, 15 निर्दलीय पार्षद दोनों प्रमुख दलों के लिए अहम माने जा रहे हैं।

हालांकि महापौर का चुनाव पार्षदों के मतदान से होगा। ऐसे में सिर्फ संख्या बल ही पूरी तस्वीर तय नहीं करता। दोनों दलों ने अपने-अपने पार्षदों को एकजुट रखने के लिए बाड़ेबंदी की। अब शुक्रवार को सभी पार्षद नगर निगम मुख्यालय पहुंचकर मतदान करेंगे। मतदान के बाद मतगणना में साफ होगा कि किस प्रत्याशी को कितने वोट मिले।

ज्ञात रहे कि सुनील कोठारी भाजपा के पूर्व जयपुर शहर अध्यक्ष रह चुके हैं। संगठन में कई जिम्मेदारियां संभाल चुके हैं। वार्ड 112 के चुनाव में उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी आशीष शर्मा को 905 वोटों से हराया था। अब पार्टी ने संगठन के पुराने चेहरे को शहर की सबसे बड़ी स्थानीय राजनीतिक कुर्सी के लिए मैदान में उतारा है। वहीं कांग्रेस ने वार्ड 118 की पार्षद सुनीता मावर को प्रत्याशी बनाया है। वे लंबे समय से जयपुर की स्थानीय राजनीति में सक्रिय हैं। कांग्रेस ने उनके जरिए भाजपा के सामने सीधी चुनौती पेश की है।

ज्ञात रहे कि जयपुर नगर निगम में शुक्रवार को मेयर का चुनाव होने के बाद 26 सितंबर को डिप्टी मेयर का चुनाव होगा। ऐसे में अगले दो दिन नगर निगम की नई सत्ता का समीकरण साफ हो जाएगा। मेयर की कुर्सी के मुकाबला के बाद भाजपा और कांग्रेस की नजर डिप्टी मेयर के पद पर रहेगी।

थानों में जब्त वाहनों के निस्तारण के प्रयासों पर संतुष्ट हुई अदालत

जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने प्रदेश के थानों में जब्त वाहनों के निस्तारण से जुडे मामले में दायर जनहित याचिका का निस्तारण कर दिया है। अदालत ने कहा कि वह इन वाहनों के निस्तारण में राज्य सरकार की ओर से किए जा रहे प्रयासों से संतुष्ट है। ऐसे में जनहित याचिका पर अब सुनवाई का कोई औचित्य नहीं है। सीजे संजय के. अग्रवाल और जस्टिस इन्द्रजीत सिंह की खंडपीठ ने यह आदेश महेश झालानी की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए।

सुनवाई के दौरान अतिरिक्त महाधिवक्ता विज्ञान शाह ने अदालत को बताया कि थानों में जब्त पडे वाहनों का पुलिस एक्ट की धारा 38 और बीएनएसएस की धारा 106 के तहत निस्तारण किया जाता है। धारा 38 से जुडे मामले में सबसे पहले परिवहन विभाग की मदद से वाहन मालिक की तलाश की जाती है। यदि वाहन मालिक का पता नहीं चलता तो फिर उसे नीलाम किया जाता है। वहीं धारा 106 के तहत कोर्ट आदेश से वाहन को संबंधित व्यक्ति को सुपुर्द किया जाता है। जिन मामलों में बीमा राशि ले ली जाती है, उस मामले में बीमा कंपनी को वाहन लेने के लिए नोटिस दिया जाता है। यदि बीमा कंपनी जवाब नहीं देती तो फिर वाहन नीलाम किया जाता है। इसके साथ ही राज्य सरकार की ओर से साल 2025 व साल 2026 में वाहनों के निस्तारण से जुडा आंकडा भी पेश किया गया। याचिका में अधिवक्ता सतीश खंडेलवाल ने अदालत को बताया कि प्रदेश के सभी थानों में अरबों रुपए के वाहन कई सालों से जब्त पडे हुए हैं। जबकि सुप्रीम कोर्ट सभी राज्यों को इन वाहनों का तय समय में निस्तारण के आदेश दे चुका है। इसके अलावा पालना नहीं होने पर सुप्रीम कोर्ट कठोर कार्रवाई की चेतावनी भी दे चुका है। याचिका में कहा गया विभिन्न थानों में सालों से खुले में वाहन पडे हैं। सालों तक लावारिस पडे रहने के कारण अधिकांश वाहन कबाड में तब्दील हो रहे हैं। वहीं बाद में ये वाहन न केवल रोड पर चलने लायक रहते है, बल्कि इनसे दुर्घटनाएं होने का खतरा भी रहता है।

पुलिस थाने के सामने युवक की हत्या कानून-व्यवस्था पर कलंक : जूली

जयपुर। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने अलवर के बडौदामेव में पुलिस थाने के मुख्य द्वार के सामने युवक की हत्या की घटना पर प्रदेश की भाजपा सरकार को घेरते हुए कहा कि सरकार 'सेवा संकल्प अभियान' के नाम पर करोड़ों रुपये के विज्ञापन अखबारों में देकर अपनी उपलब्धियों का ढिंढोरा पीट रही है, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि पुलिस थाने के मुख्य द्वार के सामने ही एक युवक की हत्या हो रही है। उन्होंने कहा कि बड़ौदामेव, अलवर में थाने के मुख्य द्वार के सामने, पुलिस की मौजूदगी में एक युवक को पत्थरों से पीट-पीटकर मार डालने की घटना राजस्थान की कानून-व्यवस्था के माथे पर काला कलंक है। जूली ने कहा कि प्रदेश में अपराधियों के हौसले इस कदर बुलंद हो चुके हैं कि अब उन्हें पुलिस थानों के सामने भी कानून का कोई डर नहीं रहा। जब पुलिस थाने के सामने ही कोई व्यक्ति सुरक्षित नहीं है तो प्रदेश में कानून-व्यवस्था की स्थिति का अंदाजा आसानी से लगाया जा सकता है।

अस्पतालों की कैंटीन, मेस और बाहर के ढाबों-फूड स्टॉल्स का निरीक्षण

जयपुर। 'शुद्ध आहार-मिलावट पर वार' अभियान के तहत जयपुर द्वितीय की फूड सेफ्टी टीम ने निजी एवं राजकीय अस्पतालों की कैंटीन, मेस किचन तथा अस्पतालों के बाहर संचालित ढाबों और फूड स्टॉल्स का सघन निरीक्षण किया। यह कार्रवाई अतिरिक्त मुख्य सचिव गायत्री राठौड एवं आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण राजस्थान अविचल चतुर्वेदी के निर्देश पर की गई।

सीएमएचओ जयपुर द्वितीय डॉ. मनीष मित्तल ने बताया कि मरीजों और उनके परिजनों को सुरक्षित एवं पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से विभिन्न स्थानों से खाद्य सामग्री के नमूने लिए गए। महात्मा गांधी हॉस्पिटल से ग्रेवी व पनीर, नारायणा हॉस्पिटल से पनीर तथा आरयूएचएस की कैंटीन से चना दाल और रिफाइंड सोयाबीन तेल के नमूने लिए गए। जांच रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

टीम ने अस्पतालों के बाहर करीब दो दर्जन ढाबों व फूड स्टॉल्स का भी निरीक्षण किया। संचालकों को साफ-सफाई रखने, तेल को बार-बार गर्म कर इस्तेमाल नहीं करने और गुणवत्तापूर्ण खाद्य सामग्री का उपयोग करने के निर्देश दिए गए। फूड हैंडलर्स को निर्धारित ड्रेस कोड और स्वच्छता व्यवस्था का पालन करने के लिए पाबंद किया गया। कार्यालय के कंट्रोल रूम पर भोजन की गुणवत्ता खराब होने की शिकायत मिलने पर जेईसीआरसी यूनिवर्सिटी की मेस किचन का निरीक्षण किया गया। यहां कुछ खाद्य पैकेट्स पर पैकिंग और एक्सपायरी तिथि अंकित नहीं मिली तथा सफाई व्यवस्था भी संतोषजनक नहीं थी। गुणवत्ता में कमी की आशंका पर पनीर का नमूना जांच के लिए लिया गया।

चुनाव आयोग के खिलाफ आंदोलन का ऐलान किया गोविंद डोटासरा ने

जयपुर। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने आरोप लगाया कि भाजपा चुनाव आयोग का दुरुपयोग कर जनमत को प्रभावित कर रही है। प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में प्रेसवार्ता में उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग के दो सदस्यों विवेक जोशी और सुखबीर सिंह संधू ने पिछले 10 माह में आयोग के फैसलों पर 14 बार आपत्ति दर्ज कराई है।

डोटासरा ने कहा कि आपत्तियों में नए मतदाताओं के लिए फार्म-6 में एसआईआर से संबंधित जानकारी जोड़ने, मतदाता सूची के आईटी सिस्टम के केंद्रीकरण और पश्चिम बंगाल में मतदाता नाम हटाने के बाद अपील की प्रक्रिया से जुड़े निर्णय शामिल हैं। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार, दोनों चुनाव आयुक्तों ने फार्म-6 में किए गए बदलाव को लेकर कानूनी आपत्ति दर्ज की थी।

उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग की तीन सदस्यीय व्यवस्था में फैसले सर्वसम्मति या बहुमत से होने चाहिए, लेकिन मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने एकतरफा तरीके से निर्णय लेने की व्यवस्था बना दी। उन्होंने ज्ञानेश कुमार को पद से हटाने, गिरफ्तारी और एसआईआर प्रक्रिया की पारदर्शी समीक्षा की मांग की।

डोटासरा ने राजस्थान के निकाय चुनावों में भी भाजपा पर प्रशासनिक मशीनरी के दुरुपयोग का आरोप लगाया। उन्होंने वार्ड परिसीमन में मतदाताओं के असमान वितरण का हवाला देते हुए जोधपुर, अजमेर, जयपुर, कोटा और भरतपुर के आंकड़े रखे। साथ ही कांग्रेस पार्षदों की बाड़ाबंदी में पुलिस कार्रवाई, पार्षदों को धमकाने और प्रलोभन देने सहित कई आरोप लगाए।

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा

उन्होंने कहा कि कांग्रेस 28 सितंबर को जयपुर में चुनाव आयोग के खिलाफ बड़ा विरोध प्रदर्शन करेगी और राज्य मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय का घेराव करेगी। इसके बाद जिला स्तर पर भी प्रदर्शन किए जाएंगे। आयोग ने इन रिपोर्टों पर कहा है कि एसआईआर सहित उसके सभी फैसले तीनों चुनाव आयुक्तों की सर्वसम्मति से लिए गए हैं। आयोग ने यह भी स्पष्ट किया है कि फार्म-6 में बदलाव नहीं किया गया, बल्कि एसआईआर के तहत अतिरिक्त घोषणा-पत्र जोड़ा गया था।

'आंगन मिलन सेवा' 25 से 27 सितंबर तक

जयपुर। विकसित भारत जन सेवा अभियान के तहत प्रदेश के सभी आंगनबाड़ी केंद्रों पर 25 से 27 सितंबर तक 'आंगन मिलन सेवा' का आयोजन होगा। प्रतिदिन करीब 21 हजार केंद्रों पर तीन दिवसीय कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। शासन सचिव महिला एवं बाल विकास पूनम ने आमजन से अपने नजदीकी आंगनबाडी केंद्र पर पहुंचकर सहभागिता करने और आंगनबाडी कार्यकर्ता, सहायिका एवं आशा का सम्मान करने की अपील की। कार्यक्रम में पोषण-स्वास्थ्य योजनाओं की जानकारी, नए लाभार्थियों का पंजीकरण, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना व मुख्यमंत्री मातृत्व पोषण योजना में पंजीकरण, गोदभराई, अन्नप्राशन, लाभार्थी संवाद और पोषण रंगोली प्रतियोगिता होंगी। निदेशक आईसीडीएस वासुदेव मालावत ने बताया कि स्थानीय जनप्रतिनिधि, शिक्षक, चिकित्सक एवं गणमान्य लोग आंगनबाड़ी दीदियों को माला और पौधा/प्लांटर भेंट कर सम्मानित करेंगे। आमजन से भी एक पौधा लेकर केंद्र पहुंचने की अपील की गई है।

10 हजार रुपये की रिश्वत लेते एस.आई. गिरफ्तार

जयपुर। नाहरगढ़ थाने में तैनात उप निरीक्षक गिरधारी लाल मीणा को एसीबी ने गुरुवार को 10 हजार रुपए की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया। आरोपी एसआई पर आर्म्स एक्ट के मुकदमे में परिवादी की मदद करने तथा पुलिस द्वारा जब्त किए गए दो मोबाइल फोन और पर्स वापस लौटाने की एवज में रिश्वत मांगने का आरोप है। एसीबी के अनुसार आरोपी पहले ही 5 हजार रुपए ले चुका था और बाद में 25 हजार रुपए की मांग की। शिकायत के सत्यापन के दौरान 10 हजार रुपए में सौदा तय होने के बाद ट्रैप कार्रवाई की गई।

एसीबी महानिदेशक पुलिस गोविन्द गुप्ता ने बताया कि एसीबी मुख्यालय के निर्देश पर विशेष अनुसंधान इकाई को शिकायत मिली थी। परिवादी के खिलाफ नाहरगढ थाने में मुकदमा दर्ज था। इस मामले में गिरफ्तारी के दौरान पुलिस ने उसके दो मोबाइल फोन और पर्स जब्त किए थे। जेल से जमानत पर रिहा होने के बाद परिवादी जब अपना सामान वापस लेने पहुंचा तो आरोप है कि अनुसंधान अधिकारी गिरधारी लाल मीणा ने मुकदमे में मदद और जब्त सामान लौटाने के बदले रिश्वत की मांग की। शिकायत के सत्यापन के दौरान एसआई द्वारा 25 हजार रुपए की मांग करना सामने आया। बातचीत के बाद 10 हजार रुपए में सामान लौटाने के लिए सहमति बनी। एसीबी के अनुसार आरोपी इससे पहले 5 हजार रुपए ले चुका था। इसके बाद एसीबी ने ट्रैप की योजना बनाई। एसीबी की एसआईयू के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महावीर सिंह शेखावत के नेतृत्व में ट्रैप कार्रवाई की गई। पुलिस निरीक्षक रघुवीर शरण शर्मा की टीम ने दोपहर 2.30 बजे नाहरगढ़ क्षेत्र में परिवादी से 10 हजार की रिश्वत लेते गिरधारी को गिरफ्तार कर लिया।

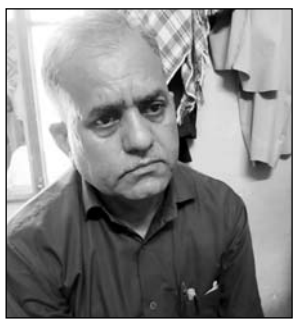

15 महीने बाद खुला "लेडी डॉन" मिंटू की हत्या का राज

गला घोंटकर हत्या के बाद कंबल में लपेटे शव को फेंका था कुएं में, पति और बेटा गिरफ्तार

-कार्यालय संवाददाता-

जयपुर। मुहाना थाना इलाके में करीब 15 महीने पहले हुई मिंटू चौधरी उर्फ सीमा चौधरी की हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया। पुलिस ने हत्या के आरोप में उसके पति लालाराम जाट (42) और बेटे हरिओम जाट (20) को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार दोनों ने 25 मई 2025 को घर पर मिंटू का गला घोंटकर हत्या की और शव को कंबल में लपेटकर उसी के ऑटो से करीब चार किलोमीटर दूर अचरावाला/बलखण्डी बालाजी चौराहे के पास स्थित सुनसान कुएं में फेंक दिया। कुआं करीब 200 फीट गहरा बताया गया है।

पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही पर सिविल डिफेंस/एसडीआरएफ की मदद से कुएं से शव के अवशेष बरामद किए। प्रारंभिक तौर पर कपड़ों से पहचान की गई है। अब अवशेषों के नमूने डीएनए जांच के लिए भेजे गए हैं।

डीसीपी दक्षिण राजर्षि राज ने बताया कि मिंटू के लापता होने के बाद 21 जुलाई 2025 को उसके बेटे हरिओम ने मुहाना थाने में गुमशुदगी दर्ज कराई थी। पुलिस के अनुसार इससे पहले परिजन महिला के बारे में पूछते तो पति और बेटा कभी उसके तिहाड़ जेल तो कभी भरतपुर जेल में बंद होने की बात कहकर टाल देते थे। मिंटू की बहन ने दोनों जेलों से जानकारी ली, लेकिन वहां उसके बंद होने की पुष्टि नहीं हुई। जांच के दौरान पुलिस को तीन दिन पहले सूचना मिली कि मिंटू की हत्या कर शव कुएं में फेंका गया है। मुखबिर की सूचना, तकनीकी साक्ष्यों और पूछताछ के आधार पर पुलिस का शक पति और बेटे पर गया। दोनों को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई तो पुलिस के अनुसार उन्होंने हत्या की वारदात कबूल कर ली। इसके बाद उनकी निशानदेही पर कुएं से शव के अवशेष बरामद किए गए।

मुहाना पुलिस ने करीब 15 महीने पहले हुई मिंटू चौधरी की हत्या का खुलासा करते हुए आरोपी पति लालाराम जाट और बेटे हरिओम जाट को गिरफ्तार किया।

- परिजन महिला के बारे में पूछते तो पति और बेटा कभी उसके तिहाड़ जेल तो कभी भरतपुर जेल में बंद होने की बात कहकर टाल देते थे। मिंटू की बहन ने दोनों जेलों से जानकारी ली, लेकिन वहां उसके बंद होने की पुष्टि नहीं हुई।

पुलिस पूछताछ में पति लालाराम ने मिंटू पर अवैध संबंध होने का शक जताया और उसके द्वारा मारपीट व प्रताड़ित किए जाने की बात कही। वहीं बेटे हरिओम ने भी बचपन से मां द्वारा मारपीट और प्रताड़ना किए जाने की बात पुलिस को बताई। पुलिस के अनुसार इन्हीं पारिवारिक विवादों के चलते दोनों ने मिलकर हत्या की।लालाराम मजदूरी करता है, जबकि मिंटू और उसका बेटा हरिओम ऑटो चलाते थे। हत्या के बाद शव को ठिकाने लगाने के लिए आरोपियों ने मिंटू के ही ऑटो का इस्तेमाल किया।

पुलिस के अनुसार मिंटू चौधरी का असली नाम सीमा चौधरी था। उसके खिलाफ जयपुर के विभिन्न थाना क्षेत्रों में 2009 से 2025 के बीच मारपीट, चोरी, हत्या के प्रयास समेत 11 आपराधिक मामले दर्ज रहे। इसी आपराधिक छवि के चलते वह इलाके में 'लेडी डॉन' के नाम से चर्चित हुई। पुलिस जांच में फिलहाल किसी संगठित गिरोह से उसके संबंध की बात सामने नहीं आई है। मिंटू के पति और बेटे को रिमांड पर लेकर पुलिस हत्या के कारणों और वारदात से जुड़े अन्य पहलुओं के बारे में पूछताछ कर रही है।

सार-समाचार

50 बीघा सरकारी भूमि से हटाया अतिक्रमण

जयपुर। जयपुर विकास प्राधिकरण (जेडीए) के प्रवर्तन दस्ते ने जोन-20 में अवैध अतिक्रमण एवं अवैध कॉलोनियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए करीब 50 बीघा बेशकीमती सरकारी भूमि अतिक्रमण मुक्त करवाई। साथ ही करीब 5 बीघा निजी खातेदारी कृषि भूमि पर बिना स्वीकृति बसाई जा रही नवीन अवैध कॉलोनी को प्रारंभिक स्तर पर ही पूरी तरह ध्वस्त कर दिया गया। उप महानिरीक्षक पुलिस आनन्द शर्मा ने बताया कि ग्राम खुडियाला, मौजमाबाद में करीब 30 बीघा सरकारी भूमि पर मिट्टी की डोल, कांटों की बाड़, झाड़ियों और तारबंदी कर किए गए अतिक्रमण को जेसीबी एवं मजदूरों की सहायता से हटाया गया। इस भूमि की अनुमानित कीमत करीब 3 करोड़ रुपए है। इसी तरह ग्राम डेडूवाला, मौजमाबाद में करीब 20 बीघा सरकारी भूमि से अतिक्रमण हटाया गया। इसकी अनुमानित कीमत करीब 1 करोड़ रुपए बताई गई है। ग्राम मौजमाबाद में करीब 5 बीघा निजी खातेदारी कृषि भूमि पर बिना जेडीए स्वीकृति और भू-रूपांतरण के 'विनायक विहार तृतीय' नाम से बसाई जा रही नवीन अवैध कॉलोनी की मिट्टी-ग्रेवल सड़कें और अन्य अवैध निर्माण ध्वस्त किए। इसी तरह ग्राम पालुखुर्द में सरकारी भूमि पर बनाई गई बाउंड्रीवाल सहित अन्य अतिक्रमण भी ध्वस्त कर भूमि को अतिक्रमण मुक्त करवाया गया।

आईडीएफसी बैंक ने दी नई सुविधा

जयपुर। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस (सीबीडीटी) के पेमेंट गेटवे का इंटीग्रेशन पूरा कर लिया है। इसके साथ देशभर के टैक्सपेयर्स अब यूपीआई, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और इंटरनेट बैंकिंग सहित डिजिटल एवं फिजिकल माध्यमों से डायरेक्ट टैक्स का भुगतान कर सकेंगे। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के रिटेल और कॉरपोरेट इंटरनेट बैंकिंग प्लेटफॉर्म के अलावा ग्राहक किसी भी बैंक की इंटरनेट बैंकिंग सुविधा के माध्यम से भी बैंक के पेमेंट गेटवे से टैक्स का भुगतान कर सकेंगे। ऑफलाइन भुगतान के लिए किसी भी आईडीएफसी फर्स्ट बैंक शाखा में चेक, डिमांड ड्राफ्ट या नकद के जरिए टैक्स जमा किया जा सकेगा। भुगतान के बाद ग्राहक चालान और पेमेंट कन्फर्मेशन डाउनलोड कर सकेंगे। यह जानकारी आईडीएफसी बैंक के हेड-रिटेल लायबिलिटीज, कार्ड्स एंड पेमेंट्स शिरीष भंडारी ने दी।

353 अभ्यर्थियों की काउंसलिंग 6 से

जयपुर। राजस्थान पुलिस में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी सीधी भर्ती-2024 के पे-लेवल-2 पदों पर चयनित 353 अभ्यर्थियों की ऑफलाइन काउंसलिंग 6 से 9 अक्टूबर 2026 तक पुलिस मुख्यालय में होगी। उप महानिरीक्षक पुलिस, भर्ती एवं पदोन्नित बोर्ड मनोज कुमार ने बताया कि काउंसलिंग के जरिए चयनित अभ्यर्थियों को जिला, यूनिट एवं कार्यालय आवंटित किए जाएंगे। काउंसलिंग प्रतिदिन सुबह 10 से शाम 5 बजे तक पुलिस मुख्यालय के प्रथम तल स्थित कमरा नंबर 102 एवं 103 में होगी। चपरासी, फर्रास, जलधारी, चौकीदार, वार्डबॉय और स्वीपर सहित पे-लेवल-2 के विभिन्न पदों पर आवंटन किया जाएगा। कुल 353 चयनित अभ्यर्थियों में 324 गैर-अनुसूचित क्षेत्र, 28 अनुसूचित क्षेत्र और एक सहरिया क्षेत्र का अभ्यर्थी शामिल है। काउंसलिंग कार्यक्रम, प्राथमिकता/वरीयता क्रम, रिक्त पदों की स्थिति, विकल्प प्रपत्र, तिथिवार अभ्यर्थियों का विवरण और दिशा-निर्देश पुलिस विभाग की वेबसाइट पर जारी किए गए हैं। अभ्यर्थियों को निर्धारित तिथि और समय पर आवश्यक दस्तावेजों के साथ उपस्थित होकर निर्देशों की पालना करनी होगी। डीआईजी मनोज कुमार ने बताया कि पुलिस विभाग में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पे-लेवल-2 के रिक्त पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया के बाद शेष 295 अभ्यर्थियों के आवेदन प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग को वापस भेजे जा चुके हैं।

शराब की लत में बना वाहन चोर

जयपुर। सिंधी कैंप थाना पुलिस ने वाहन चोरी के मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए वाहन चोर आरोपी शैलेश कुमार मैरोठा उर्फ छोटू को गिरफ्तार कर चोरी की हीरो स्पलेंडर बाइक बरामद कर ली। पुलिस पूछताछ में सामने आया कि आरोपी ने शराब के नशे की लत पूरी करने के लिए बाइक चोरी की थी और उसे बेचने की फिराक में घूम रहा था। जयपुर पश्चिम पुलिस उपायुक्त प्रशांत किरण ने बताया कि सिंधी कैंप थाना पुलिस ने दुपहिया वाहन चुराने वाले एक शातिर वाहन चोर शैलेश कुमार मैरोठा उर्फ छोटू (30) निवासी कापरेन जिला बूंदी को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से चोरी की गई स्पलेंडर बाइक बरामद कर ली गई। पुलिस के अनुसार आरोपी के खिलाफ कोटा और बूंदी जिलों में पहले से पांच आपराधिक मामले दर्ज हैं। पुलिस उससे अन्य वाहन चोरी और दूसरी वारदातों के संबंध में भी पूछताछ कर रही है।

शिवम वरिष्ठ नागरिक समिति का नवगठन

जयपुर। मानसरोवर सेक्टर-4 में वरिष्ठ नागरिकों के हितों और सामाजिक सेवा के उद्देश्यों को लेकर शिवम वरिष्ठ नागरिक समिति (रजिस्टर्ड) का नवगठन किया गया। इस कार्यकारिणी में ओम प्रकाश पुरोहित को अध्यक्ष, चंद्र प्रकाश अडवाणी को सचिव तथा सुरेंद्र प्रकाश सक्सैना को कोषाध्यक्ष बनाया गया है। इस अवसर पर कार्यकारिणी सदस्यों ने समिति के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए निष्ठा और समर्पण के साथ कार्य करने का संकल्प लिया। पदाधिकारियों का कहना है कि समिति का उद्देश्य वरिष्ठ नागरिकों के अनुभव एवं विचारों का समाजहित में उपयोग करने के साथ नि:स्वार्थ सेवा, पर्यावरण जागरूकता, सामाजिक समरसता, नैतिक मूल्यों और स्वस्थ जीवनशैली को बढ़ावा देना है। समिति युवाओं में सकारात्मक सोच और अच्छे संस्कार विकसित करने के लिए भी कार्य करेगी। समिति से अब तक मानसरोवर सेक्टर-4 के 52 वरिष्ठ नागरिक जुड़ चुके है।

20 किलो गांजे के साथ 2 तस्कर पकड़े

जयपुर। अवैध मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ जयपुर पुलिस कमिश्नरेट की स्पेशल टीम और मानसरोवर पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए 20.500 किलोग्राम गांजे के साथ दो तस्करों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने मोती नगर, गुर्जर की थड़ी के पास संदिग्धों की चेकिंग के दौरान दोनों को पकड़ा। पुलिस उपायुक्त (अपराध) संजीव नैन ने बताया कि सीएसटी ने मादक पदार्थ तस्करी से जुड़े नेटवर्क के बारे में आसूचना जुटाई। पुख्ता सूचना के आधार पर सीएसटी और मानसरोवर थाना पुलिस की संयुक्त टीम ने मोती नगर, गुर्जर की थड़ी के पास संदिग्धों की घेराबंदी कर तलाशी ली। इस दौरान उनके कब्जे से 20.500 किलो गांजा बरामद हुआ। पुलिस ने वीरेंद्र सिंह (20) निवासी बयाना जिला भरतपुर और तिमण सिंह उर्फ चिन्नू (26) निवासी बयाना जिला भरतपुर को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों से गांजे की खरीद-फरोख्त, सप्लाई और पूरे नेटवर्क के संबंध में पूछताछ की जा रही है।